स्मार - 3

**समाहरणालय मधेपुरा**

(जिला विकास शाखा)

पत्रांक...08...../वि०

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त, मधेपुर।
अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन, मधेपुरा।
प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।
अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज।
जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा।
जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा।
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा।
जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।
जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा।
जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा।
सिविल सर्जन, मधेपुरा।
डाक अधीक्षक, सहरसा।
जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा।
जिला प्रबंधक SFC मधेपुरा।
कार्यपालक अभियंता पी.एच.ई.डी., मधेपुरा।
कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, मधेपुरा।
कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल, मधेपुरा।
कार्यपालक अभियंता उच्च पथ प्रमंडल, मधेपुरा।
कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, मधेपुरा।
कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल, मुरलीगंज
कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, मधेपुरा।
कार्यपालक अभियंता डुडा, मधेपुरा।
कार्यपालक अभियंता मनरेगा, मधेपुरा।
ग्रामीण कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज।
ग्रामीण कार्य प्रमंडल, मधेपुरा।

मधेपुरा दिनांक 05/01/2015

विषय :- दिनांक 27.01.2016 को प्रस्तावित (20सुत्री) की बैठक हेतु गत सम्पन्न बैठक दिनांक 09.01.2014 की कार्यवाही का अनुपालन दिनांक 08.01.2016 तक निश्चित रूपेणः प्रेषित करने के संबंध में।

34 dpomadh@gmail.com

प्रसंग :- इस कार्यालय का ज्ञापांक 135/वि0 मधेपुरा दिनांक 21.02.2014, पत्रांक 325 दिनांक 30.09.2014 एवं पत्रांक 336/वि0 दिनांक 05.11.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दिनांक 27.01.2015 को माननीय अध्यक्ष 20सुत्री की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रस्तावित है। संबंधित गत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रायः दो वर्ष बीतने के उपरांत भी अप्राप्त है। यह अत्यंत खेद का विषय है।

गत बैठक की कार्यवाही को उपलब्ध ई - मेल पर प्रेषित करते हुए जिले के वेवसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है। संबंधित पदाधिकारी इसे डाऊनलोड कर अनुपालन की 3 भौतिक प्रति जिला विकास कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालन पत्र में सभी पदाधिकारी अपना मोबाईल नंम्बर फैक्स, नंम्बर एवं ई - मेल पता आदि उपर में अवश्य रूप से वर्णित करेगें।

साथ हीं अनुपालन के अतिरिक्त अपने - अपने विभाग का प्रगति प्रतिवेदन भी प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें । अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अनुपालन प्रतिवेदन एवं प्रगति प्रतिवेदन पर समीक्षा एवं विमर्श हेतु दिनांक 08.01.2016 को 2:00 बजे अपराह्न अद्योहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें सभी पदाधिकारी आवश्यक रूप से भाग लेगें।

**निदेशित अनुपालन ससमय एवं स्पष्ट रूप से किया जाय**

विश्वासभाजन

जिलाधिकारी

मधेपुरा।

# समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला विकास शाखा)

**दिनांक 09-01-2014 को श्री जीतन राम मांझी, माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति /जनजाति कल्याण विभाग -सह- प्रभारी मंत्री, मधेपुरा जिला की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, मधेपुरा की बैठक की कार्यवाही :-**

(1) उपस्थिति :- यथा अंकित पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम जिलाधिकारी -सह- सदस्य सचिव, जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, मधेपुरा द्वारा अपने सम्बोधन में श्री जीतन राम मांझी, माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति /जनजाति कल्याण विभाग -सह- प्रभारी मंत्री, मधेपुरा, प्रो0 चन्द्रशेखर, माननीय विधायक, मधेपुरा, माननीय उपाध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण तथा जिला स्तरीय पदाधिकारीगण का हृदय के अंतःकरण से बैठक में भाग लेने पर स्वागत किया गया तथा नव वर्ष की शुभकामना दी गयी। जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 20-सूत्री की बैठक में विभिन्न सूत्रों पर जो चर्चा होती है तथा बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं उसका अनुपालन किया जाता है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत बैठक की कार्यवाही, उसका अनुपालन प्रतिवेदन एवं सभी सूत्रों का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन का संकलन कर यथासमय तैयार किए बुकलेट माननीय सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जा चुका है। जिलाधिकारी द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया।

माननीय प्रभारी मंत्री ने अपने सम्बोधन में प्रो0 चन्द्रशेखर, माननीय विधायक, मधेपुरा, माननीय उपाध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण तथा जिला स्तरीय पदाधिकारीगण का हृदय के अंतःकरण से बैठक में भाग लेने पर स्वागत किया गया तथा नव वर्ष की शुभकामना दी गयी। उन्होंने कहा कि मधेपुरा जिले में चल रहे विभिन्न विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जायेगी तथा विकास कार्य को आगे बढ़ाने हेतु आप सभी माननीय सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है। माननीय सदस्यों द्वारा पूर्व में उठाये गये बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा करेंगे। हमलोगों के सामने जो बुकलेट है, उन्हें देख लेना चाहिए कि आपके द्वारा उठाया गया मामला कार्यवाही में अंकित है कि नहीं। इस आधार पर गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की कार्यवाही शुरू होगी। सम्पुष्टि की कार्रवाई एवं क्रियान्वयन (अनुपालन) दोनों दो चीज है। लेकिन सम्पुष्टि के ही क्रम में हमारे बहुत से माननीय सदस्य अनुपालन की बातें करने लगते है। गत बैठक में जो मामला आपने उठाया था, अगर किसी कारणवश वह कार्यवाही में अंकित नहीं हो पाया है, तो उसमें आप सुधार करवा लेंगे।

माननीय प्रभारी मंत्री-सह-अध्यक्ष ने बताया कि सभी जिला प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति (20 सूत्री) का पुनर्गठन का मामला लंबित था। इसलिए यह बैठक करीब दो वर्ष बाद हो रही है।

उन्होंने कहा कि बैठक से संबंधित सभी पदाधिकारी अपने विभागीय विषय वस्तु का गहन अध्ययन बैठक से पूर्व सुनिश्चित करें, ताकि बैठक में अपरिहार्य स्थिति से बचा जा सके। बैठक से अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारी इस भ्रांति को अच्छी तरह समझ लें कि न्यायालीय वाद में उपस्थिति को छोड़कर विभागीय प्रधान सचिव /सचिव एवं अन्य उच्चाधिकारी के साथ बैठक से ज्यादा जिला 20-सूत्री की बैठक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इस बैठक से संबंधित जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी स्वयं इस बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें। यदि नहीं तो, जो भी विभागीय कार्रवाई हो सकती है, वह निश्चित रूप से होगी।

**(अनुपालन-प्रभारी पदाधिकारी, जिला 20-सूत्री कोषांग, मधेपुरा)**

जिलाधिकारी ने बताया कि बैठक की कार्यवाही एवं अनुपालन उप विकास आयुक्त, मधेपुरा द्वारा पढ़ कर सुनाया जायेगा। अध्यक्ष की अनुमति से अनुपालन की समीक्षा की कार्रवाई शुरू की गयी।

<u>(2) सूत्र संख्या-01 गरीबी हटाओ :-</u>

(I) अनुपालन की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त, मधेपुरा ने बताया कि मधेपुरा जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल-2,96,967 निबंधित मजदूरों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया गया

है, जिसके तहत् 36,736 जॉबकार्डधारी को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और 14.33000 लाख मानव दिवस सृजित किया जा चुका है। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा ने बताया कि दिनांक 14-12-2013 को बी0एन0मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा परिसर में एक कार्यशाला /सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के सभी मुखिया /सरपंच /उपमुखिया /पंचायत रोजगार सेवक आदि भाग लिये तथा मनरेगा विषय पर विस्तृत जानकारी दी गयी। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा ने बताया कि पहले जॉबकार्डधारियों को उनके खाता में सी0पी0एस0एम0एस0 के माध्यम से राशि भेजे जाते थे, लेकिन अब ई0एफ0एम0एस0 के माध्यम से तुरंत उनके खाते में राशि भुगतान किया जाता है। बैठक में उपस्थित श्री जयप्रकाश सिंह, माननीय सदस्य ने बताया कि वर्तमान जिलाधिकारी महोदय के पदस्थापन के बाद मनरेगा योजना में बहुत गुणात्मक सुधार हुए हैं, अन्य योजनाओं में भी पारदर्शिता बरती जा रही है, कार्य अच्छे ढ़ंग से किया जा रहा है और आगे भी अच्छे ढ़ंग से कार्य किया जाना अपेक्षित है। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि ग्रामीण विकास विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में प्रत्येक बुधवार को प्रखंडों के वरीय प्रभारी उप समाहर्त्ताओं द्वारा मनरेगा योजनाओं की जाँच किया जाता है।

**(अनुपालन- उप विकास आयुक्त, मधेपुरा)**

श्री मोहन मंडल, सांसद प्रतिनिधि (श्री विश्वमोहन कुमार, माननीय सांसद, सुपौल) ने कहा कि गत बैठक में माननीय सांसद द्वारा जो प्रश्न उठाया गया था कि जॉब कार्डधारी मजदूर एवं पेंशनधारी डाकघरों में अपना खाता खुलवाने जाते है तो उनसे रिश्वत की मांग की जाती है। इसका अनुपालन नहीं हुआ है। प्रसगंवश डाक अधीक्षक, सहरसा से इस बिन्दु पर समीक्षा की गयी तो, उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें विगत बैठक की कार्यवाही की प्रति नहीं प्राप्त हुआ है, जिस कारण अनुपालन नहीं किया जा सका।

बैठक में कुछ सदस्यों ने बताया कि उन्हें इस बैठक की जानकारी देर से प्राप्त हुई है, जो खेद की बात है। बैठक की जानकारी दो-तीन दिन पूर्व ही मिलने से बैठक की तैयारी की जा सकती थी। जिलाधिकारी द्वारा माननीय सभी सदस्यों को बताया गया कि short notice पर बैठक का आयोजन होने से हो सकता है कि कुछ सदस्यों को बैठक की सूचना देर से मिला हो। उन्होंने सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि कृपया अपना-अपना मोबाईल नम्बर /फैक्स नम्बर /ई-मेल नम्बर आदि उपलब्ध करा दें, ताकि आगे से बैठक की जानकारी समय पूर्व दिया जा सके।

**(अनुपालन-प्रभारी पदा0,जिला 20-सूत्री कोषांग, मधेपुरा/डाक अधीक्षक, सहरसा)**

**(II)** प्रो0 चन्द्रशेखर, माननीय, स0वि0स0 के द्वारा विगत बैठक में बभनी प्रखंड के पोस्टमास्टर के विरुद्ध लगाए गए आरोप की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पोस्ट ऑफिस से खाता हटाकर एक्सीस बैंक में नया खाता खोलने हेतु आवश्यक कार्रवाई की गयी है।

बैठक में उपस्थित डाक अधीक्षक, सहरसा को निदेश दिया कि अविलम्ब माननीय सदस्य के आरोप की जांच-पड़ताल कर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी को समर्पित करें। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को निदेश दिया कि विगत बैठक की कार्यवाही तथा इस बैठक की कार्यवाही की प्रति को मधेपुरा जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि माननीय सदस्यों तथा विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ससमय बैठक की कार्यवाही डाऊनलोड करके उसका अनुपालन किया जा सके।

**(अनुपालन-डाक अधीक्षक, सहरसा /जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा)**

**(III)** विगत बैठक में श्री सीताराम पंडित, माननीय पूर्व सदस्य के प्रश्न की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त, मधेपुरा ने बताया कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधेपुरा में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है, जिसमें सभी शिकायतों को सुना जाता है एवं उसके निष्पादन की कार्रवाई की जाती है। साथ ही उप विकास आयुक्त, मधेपुरा ने यह भी बताया कि एम0आई0एस0, एम0पी0आर0 आदि को जिला के वेबसाईट पर अपलोड किया जाता है, जिससे कभी भी उसे डाऊनलोड कर देखा जा सकता है। इस प्रकार कहीं से भी कोई गड़बड़ी की शिकायत होने की संभावना नहीं रहती है।

श्री मोहन मंडल, सांसद प्रतिनिधि ने बताया कि मनरेगा में सबसे बड़ी समस्या है कि जिला में एक ही सहायक अभियंता है, जिससे उनके द्वारा कार्यो की देख-रेख में कठिनाई होती है।

माननीय प्रभारी मंत्री ने सुझाव दिया कि सहायक अभियंता, मनरेगा के पदस्थापन हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजने की अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन- उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुगंज)

(IV) श्री चन्द्रशेखर,मंत्री प्रतिनिधी ने विगत बैठक में आलमनगर प्रखंड अन्तर्गत खुरहान पंचायत के दो योजनाओं (1) आलमनगर- खुरहान पी0डब्लू0डी0 पथ से शिशवा जाने वाली सड़क में मिट्टी कार्य तथा (2) आलमनगर - खुरहान पी0डब्लू0डी0 पथ से फोरसाही ग्राम जाने वाली पथ में ईंट सोलिंग कार्य में अनियमितता का आरोप लगाया था। इस संबंध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा आरोप लगाया गया कि कोई कार्रवाई नहीं की गयी है और इसका अनुपालन भी सही-सही नहीं दिया गया है। पृच्छा पर बैठक में बताया गया कि प्रथम योजना के कुछ अंश में स्थानीय मुखिया द्वारा स्वयं के खर्च पर ट्रेक्टर से मिट्टी का कार्य कराया गया है, जिसकी प्रविष्टि मापी पुस्त में दर्ज नहीं हुआ है। दुसरी योजना में शिकायत मिलने पर अभिकर्त्ता से दी गयी अग्रिम वापस कराया गया है, इसमें किसी मद से भुगतान नहीं हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा धन्यवाद दिया गया कि यदि तत्पर रहा जाए, तो सरकारी राशि के दुरूपयोग को रोका जा सकता है।

(अनुपालन- उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुगंज)

(V) माननीय सदस्य, श्री कमरलाल मेहता ने बताया कि गत बैठक में जो मामला उठाया गया था कि औराही - एकपरहा पंचायत में चिमनी के पास जो मनरेगा अन्तर्गत कार्य कराये जा रहे थे, उसमें से पुराना ईंट उखाड़ कर लगाया गया है। अभी तक यह कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। पृच्छा पर उप विकास आयुक्त, मधेपुरा ने बताया कि वस्तुस्थिति के संबंध में दिनांक 22-06-2012 को ही कार्यपालक अभियंता, मनरेगा, मधेपुरा को निदेशित किया गया था, किन्तु इनके द्वारा अभी तक कार्य नहीं किया गया है। इसी क्रम में श्री मोहन मंडल, सांसद प्रतिनिधि ने बताया कि मनरेगा योजनान्तर्गत कनीय अभियंता /पंचायत तकनीकी पर्यवेक्षक द्वारा घर बैठे ही बिना स्थल निरीक्षण के एम0बी0 दर्ज कर दिया जाता है। माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा कार्यपालक अभियंता, मनरेगा, मधेपुरा से योजना की अद्यतन स्थिति के संबंध में पृच्छा की गयी, परन्तु उनके द्वारा अद्यतन स्थिति की जानकारी नहीं दी जा सकी। इसे गंभीरता से लेते हुए उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को निदेश दिया कि कार्यपालक अभियंता, मनरेगा, मधेपुरा से इस संबंध में एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग कर अपने मंतव्य के साथ जिलाधिकारी, मधेपुरा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे।

(अनुपालन-उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता,मनरेगा)

(Vi) माननीय प्रभारी मंत्री की पृच्छा पर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मनरेगा योजनान्तर्गत जोभी पुराना योजना है, उसकी सूची वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है। इसमें योजना के पूर्ण /अपूर्ण आदि सभी जानकारी अंकित है। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त सूची की प्रति माननीय सदस्य को भी उपलब्ध करायी जाए।

(अनुपालन-उप विकास आयुक्त, मधेपुरा )

(3) सूत्र सं0- 03 किसान मित्र :-

प्रो0 चन्द्रशेखर, माननीय विधायक, मधेपुरा ने बताया कि वर्तमान में खाद /उर्वरक दुकानदार द्वारा एम0आर0पी0 से 30-40 रू0 अधिक दाम पर खाद की बिक्री की जाती है एवं उसका कैशमेमो नहीं दिया जाता है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि व्यवहारिक कठिनाई के कारण ही दुकानदार द्वारा एम0आर0पी0 का कैशमेमो दिया जाता है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि खाद की कालाबाजारी तथा अत्यधिक मूल्य पर बिक्री की सूचना प्राप्त होते ही अधोहस्ताक्षरी के निदेशानुसार छापामारी तथा जांच-पड़ताल कर कार्रवाई की जाती है तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में एक व्यक्ति को मिलावटी खाद बेचने के आरोप में छापामारी कर गिरफ्तार किया गया है। यह मामला ग्वालपाड़ा थाना का है। निदेश दिया गया कि संबंधित खाद बिक्री करनेवाले दुकानदारो से किसानों को कैशमेमो दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय एवं मिलावटी खाद की बिकी रोकने की त्वरित कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन-जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा)

(I) माननीय सदस्य ने बताया कि विगत दिनों नहर की सफाई करायी गयी है, परन्तु अभी तक मुरलीगंज वितरणी नहर में पानी नहीं छोड़ा गया है। बैठक में यह बात प्रकाश में आयी कि कुछ दिनों पूर्व मुरलीगंज वितरणी में एक जगह नहर टूट गया, जिससे कई किसानों के खेत में लगी फसल भी बर्बाद हुई है। समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज /त्रिवेणीगंज से इस संबंध में पृच्छा की गयी, तो उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। निदेश दिया गया कि समाहरणालय के किसी वरीय पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित कर इसकी जांच करायी जाए कि उक्त नहर के टूटने के लिए कौन-कौन दोषी है। इस संबंध में अगली बैठक में एक विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित की जाए।

**(अनुपालन-उप विकास आयुक्त,मधेपुरा / कार्य0अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज)**

(II) माननीय प्रभारी मंत्री -सह- अध्यक्ष की पृच्छा पर जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि आम, लीची एवं मेथी आदि की खेती के प्रोत्साहन हेतु किसानों को अनुदान दिया जा रहा है तथा मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अन्तर्गत 1.26 लाख रू0, सुक्ष्म सिंचाई योजना अन्तर्गत 1.40 लाख रू0 तथा बांस मिशन योजनान्तर्गत 6.40 लाख रू0 का व्यय हुआ है, जिसकी विस्तृत विवरणी /प्रतिवेदन जिले के वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है।

माननीय प्रभारी मंत्री -सह- अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अन्तर्गत काफी राशि आवंटित हो रही है। इस योजना से किसान व्यापक लाभ ले सकते हैं। निदेश दिया गया कि शत-प्रतिशत किसानों को लाभान्वित करते हुए अगली बैठक में इस आशय का प्रतिवेदन जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा प्रस्तुत करेंगे।

**(अनुपालन-जिला उद्यान पदा0, मधेपुरा)**

**(4) <u>सूत्र सं0-04 श्रमिक कल्याण :-</u>**

पृच्छा की गयी कि श्रम विभाग अन्तर्गत क्या-क्या कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत माह समाहरणालय परिसर में श्रमिक कल्याण अन्तर्गत बिहार शताब्दी कामगार मजदूर कैम्प आयोजित कर राजमिस्त्री /मजदूरों से आवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की गयी। श्रम अधीक्षक, मधेपुरा एक लम्बी अवधि से मुख्यालय से अनुपस्थित है, जिसके फलस्वरूप श्रम विभाग के कार्यो पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। निदेश दिया गया कि श्रम अधीक्षक, मधेपुरा के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु विभाग को प्रतिवेदित किया जाए तथा दूसरे श्रम अधीक्षक की प्रतिनियुक्ति हेतु भी विभाग से पत्राचार की जाए।

**(अनुपालन-विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा)**

**(5) <u>सूत्र सं0-05 खाद्य सुरक्षा :-</u>**

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01-02-2014 से खाद्य सुरक्षा से संबंधित एक महत्वाकांक्षी योजना क्रियान्वित की जाएगी। इसमें सामाजिक, आर्थिक एवं जातिय जनगणना, 2011 के अनुसार सर्वे संबंधी डाटावेस के आधार पर स्मार्ट कार्ड की तरह राशन कार्ड बनेगा, जो कम्प्युटराईज्ड होगा। उसमें परिवार के मुखिया का नाम रहेगा तथा फुड सिक्यूरीटी के तहत् लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरे तथा सभी को खाद्यान्न न्यूनतम मूल्य पर प्राप्त हो। उन्होंने बताया कि सरकारी पदाधिकारी /कर्मियों को इस योजना के लाभ से वंचित रखा गया है।

माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश सिंह ने बताया कि पुरैनी में गोदाम निर्माण के लिए राशि आवंटित है, किन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा ने बताया कि 2010 में ही भू-खंड का सीमांकन किया गया था, किन्तु वहां पर कुछ लोगों द्वारा इस जमीन का अतिक्रमण किया गया है। जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा ने बताया कि दूसरी जगह पर जमीन को चिन्हित किया गया है। दिनांक 10-01-2014 को विभागीय माननीय मंत्री की अध्यक्षता में इसका शिलान्यास विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जायेगा।

बैठक में उपस्थित माननीय सदस्य श्री सुबोध ऋषिदेव ने बताया कि दोनों अनुमण्डल में खाद्यान्न की आपूर्ति से संबंधित बैठक होती है। इसकी जानकारी माननीय सदस्यों को नहीं दी जाती है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा प्रायः लाभुकों को यह कह कर खाद्यान्न कम